IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
जमीन बिक्री अनुमति वाद संख्या–01 / 2015
सामुएल हांसदा एवं अन्य
बनाम
बिहार सरकार

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	23.09.2016	आदेश यह वाद आवेदक सामुएल हांसदा पिता–स्व0 फांसिस हांसदा एवं अन्य ग्राम–गदहरा थाना–चकाई जिला–जमुई के द्वारा जमीन बिक्री अनुमति हेतु दिनांक 08.05.2015 को दाखिल आवेदन पर अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक–540 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा समर्पित जाँच अभिलेख के आधार पर आरम्भ किया गया है। आवेदक द्वारा निम्नांकित जमीन की बिक्री की अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है:– जमीन का विवरण मौजा जमाबंदी सं0 खाता सं0 खेसरा सं0 रकबा खास चकाई 1175 248 1129 $3\frac{7}{20}$ डी0 खास चकाई 1176 248 1129 $3\frac{7}{20}$ डी0 खास चकाई 1177 248 1129 $3\frac{7}{20}$ डी0 खास चकाई 1178 248 1129 $3\frac{7}{20}$ डी0 खास चकाई 1185 248 1129 $3\frac{3}{20}$ डी0 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमीन को आवेदक, आवेदक के पिता एवं आवेदिका के पति ने दिनांक 24.11.1997 को फादर जेम्स कुजूर कला फादर इन्चार्ज चकाई मिसन से निबंधित कबाला के द्वारा खरीद किया था। खरीदने के बाद सामुएल हांसदा के नाम से जमाबंदी सं0–1175, नोरबट बेसरा के नाम से जमाबंदी सं0–1176, फिलीप बेसरा के नाम से जमाबंदी सं0–1177 वरनावस हांसदा के नाम से जमाबंदी सं0–1178 एवं सिमो। मुर्मु के नाम से जमबांदी सं0–1185 कायम किया गया। इस जमीन की मालगुजारी रसीद कट रही है। इस जमीन पर आवेदकगण का दखल कब्जा एवं हक–अधिकार है। आवेदक संरक्षित रैयत हैं जो आदिमजाति समुदाय के संथाल हैं। आवेदक अपना इलाज कराने, पुत्री की शादी एवं अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस जमीन को बेचना चाहते हैं।	

इस जमीन को बेचने से आवेदक भूमिहीन नहीं हो जाएगें। परिवार के पालन–पोषण के लिए आवेदक के पास काफी जमीन है। प्रदीप कुमार साह इस जमीन को उचित मूल्य पर मो0–6,90,000.00 रूपये में खरीदने के लिए तैयार हैं। अतः B.T. Act की धारा–49 G(b) के तहत जमीन बिक्री की अनुमति प्रदान किया जाय।

अंचल अधिकारी, चकाई के जाँच अभिलेख में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन का किस्म भीठा व वास है एवं स्वामित्व का प्रकार खरीदगी रैयती है। प्रस्तावित जमीन केवाला के द्वारा खरीद की गयी है। जमाबंदी रैयत आवेदक स्वयं एवं पत्नी, पुत्र है। बिक्री हेतु प्रस्तावित जमीन में आवेदक का पूर्ण हिस्सा है। अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक 389 दिनांक 19.05.2016 में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थलीय जाँच के दौरान उक्त जमीन जमाबंदी रैयत के दखल में है तथा वर्तमान में किस्म–परती है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई के पत्रांक 677 दिनांक 12.04.2016 में प्रश्नगत जमीन के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन प्रमंडलीय अभिलेख के आधार पर वन विभाग की भूमि नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं जाँच प्रतिवेदनों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि आवेदक अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रश्नगत जमीन को बेचना चाहते हैं। अतः Bihar Tenancy Act, 1885 की धारा–49 G के तहत उपरोक्त वर्णित जमीन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चकाई, अवर निबंधक, चकाई एवं आवेदक को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
जमुई।

समाहर्ता,
जमुई।